रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 1974/फाल्गुन 4, 1895
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23, 1974/PHALGUNA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd February 1274

No. DRAWBACK/PN-4/74.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 2508 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description	Rate of drawback
1	2	3
2508(a)	Sisal Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.	Rs. 1248·00 (Rupees one thousand two hundred and forty eight only) per tonne.

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the Shipping Bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such sisal ropes have been wholly manufactured from grades 1, 3-L, 2, 3 and UG of sisal fibre.

1	2	3
(b) Manila Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.		Rs. 1218·10 (Rupees one thousand two hundred eighteen and paise ten only) per tonne.

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the Shipping Bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such manila ropes have been wholly manufactured from grades S1, S2, S3, G, I and J. K. varieties of manila hemp fibres.

(c) All other ropes, lines, cordages, twines and sligns made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre.	
(i) Sisal fibre content.	Rs. 900·50 (Rupees nine hundred and paise fifty only) per tonne.
(ii) Manila hemp fibre content.	Rs. 1186·95 (Rupees one thousand one hundred eighty six and paise ninety five only) per tonne.

The above Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of December 1973 and shall remain in force till 31st day of May, 1974.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1974

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एस०-4/74.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—व० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एस० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2508 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
1	2	3
2508(क)	बी० एस० एस० 2052/1953 के अनुसार निर्मित सिसल के रस्से	1248.00 रु० (केवल एक हजार दो सौ अड़तालीस रुपये) प्रति टन

परन्तु उपर्युक्त दर केवल तब लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर, निर्यात के समय यह प्रमाणित करता है तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार के सिसल-रस्सों का निर्माण पूर्णतया सिसल तन्तु के ग्रेड 1, 3—एन०, 2, 3 और यू० जी० से किया गया

1	2	3
	(ख) बी० एस०एम० 2052/1953 के अनुसार निर्मित मनीला रस्से	1218.10 रु० (केवल एक हजार दो सौ अठारह रुपये और दस पैसे) प्रति टन ।

परन्तु यह दर केवल तब लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर निर्यात के समय यह प्रमाणित करता है तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के इत्मीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि मनीला के इस प्रकार के रस्सों का निर्माण पूर्णतया मनीला खन तन्तुओं के ग्रेड एम० 1, एस० 2, एस० 3, जी० आई० और जे० के० किस्मों से किया गया है ।

(ग) सिसल तन्तु तथा/अथवा मनीला सन तन्तु से पूर्णत: अथवा अंशत: निर्मित सभी अन्य रस्से, लाइनें, जहाजी रस्से, ट्वाइन तथा स्लिंग्स	
(i) सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु	900.50 रु० (केवल नौ सौ रुपये और पचास पैसे) प्रति टन ।
(ii) मनीला सन तन्तु अन्तर्वस्तु	1186.95 रुपये (केवल एक हजार एक सौ छियासी रुपये और पंचानवे पैसे) प्रति टन ।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना, दिसम्बर, 1973 के पहले दिन से लागू हुई समझी जायगी और मई 1974 के 31वें दिन तक लागू रहेगी ।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिरक्षायगी) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974